भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †89

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जैविक कृषि आधारित पर्यटन

†89. श्री ईश्वरस्वामी के.:

श्री अनुराग शर्माः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के पोल्लाची-सेतुमडाई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक कृषि-आधारित और कृषि-पारिस्थितिकी पर्यटन की क्षमता पर कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है अथवा करने का विचार किया है;

(ख) क्या इस तरह की पहल को 'स्वदेश दर्शन 2.0', 'देखो अपना देश', 'ग्रामीण पर्यटन पहल' या अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, मार्ग में मिलने वाली जन-सुविधाओं, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, डिजिटल प्रचार और विपणन सहायता सहित जैविक कृषि से जुड़े पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए धन आवंटित किया है/करने का विचार किया है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में संधारणीय कृषि-पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किसानों, स्वयंसहायता समूहों और स्थानीय युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, वित्तीय प्रोत्साहनों या सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में तमिलनाडु के पोल्लाची-सेतुमडाई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती आधारित और कृषि-पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावना पर अध्ययन या उसका मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' की अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत, मंत्रालय पर्यटन के मुख्य उत्पादों, पर्यटन कार्यकलापों, सुरक्षा, स्वच्छता, अंतिम छोर तक संपर्कता, पार्किंग, सामान्य स्थल विकास, आवश्यक सुविधाऐं आदि सहित परियोजना की आवश्यकता के अनुसार गंतव्यों पर पर्यटन सुविधा बेहतर बनाने वाले कई घटकों को मंजूरी देने पर विचार करता है।

पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी, हुनर से रोजगार तक आदि सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और पहल, पर्यटन के संवर्धन एवं विकास, वहनीयता आदि से संबंधित मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान कर रही हैं।
